विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अका./पीएच.डी.पंजी./2017/ 111 दिनांक : 23-01-17

-:: अधिसूचना ::-

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि, 'भारत के राजपत्र (The Gazette of India) असाधारण भाग-3 खण्ड.4 सं-196 नई दिल्ली मंगलवार दिनांक 10 मई 2016 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 04 मई 2016 के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी. उपाधि प्रमाप-पत्र प्रदान किये जाने की अधिसूचना जारी की जाती है :-

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.09.2016 में अध्यक्ष की अनुमति से के विषय क्रमांक 05 पर लिये गये निर्णय एवं माननीय कुलपतिजी तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2016 के अनुमोदनोपरांत अध यादेश क्रमांक 12 के अन्तर्गत शोध उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को निम्नांकित पॉच अर्हताओं की पूर्ति करना अनिवार्य है :-

01. अभ्यर्थी को केवल नियमित (रेग्यूलर) पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो।
02. कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।
03. अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में दो शोध पत्र प्रकाशित किये हो, जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो।
04. अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठीयों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किये हो।
05. अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।

शोधार्थियों को बिन्दु क्रमांक 03 एवं 04 से संबंधित प्रमाणित अभिलेख के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शपथ पत्र का प्रारूप अधिसूचना के साथ संलग्न है। अधिसूचना में उल्लेखित उपरोक्त अर्हता से संबंधित पॉच बिन्दुओं अनुसार अभिलेख, शपथ पत्र, शोधार्थी को अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा एवं साथ ही अपने आवेदन पत्र एवं संलग्नक अभिलेखों को अपने शोधनिर्देशक, शोधकेन्द्र के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष से अग्रेषित कराने के पश्चात् आवेदन पत्र को पीएच.डी. विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा । उपरोक्त पूर्ति के अभाव में प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा सकेगा। प्रमाण पत्र संबंधी अधिसूचना एवं प्रमाण पत्र का प्रारूप, शपथ-पत्र का प्रारूप (भारत का राज पत्र 10 मई 2016) विक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.vikramuniv.net** पर प्रसारित किया जायेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव
विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अका./पीएच.डी.पंजी./2017/ 112 दिनांक : 23-01-17

प्रतिलिपिः

01. समस्त विभागाध्यक्ष/प्राचार्य,अध्ययनशाला/शासकीय महाविद्यालय,(शोध केन्द्र की मान्यता प्राप्त)शोध केन्द्र, विक्रम विश्वविद्यालय,परिक्षेत्र।
02. प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन से निवेदन है कि,उक्त अधिसूचना एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
03. समन्वयक ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
04. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी. सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
05. उप/सहायक कुलसचिव,लेखा/परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
06. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

E/Desktop/Ph.D./Intrence/113

–:: शपथ पत्र ::–

मैं ..... आत्मज/आत्मजा.....निवासी.....
.....आयु..... वर्ष, शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि, मैं विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन के अध्यादेश क्रमांक 12 के प्रावधानान्तर्गत शोधार्थी हूँ। मेरा विवरण निम्नानुसार है :–

01. विषय .....संकाय.....
02. शोध पंजीयन दिनांक (रजिस्ट्रेशन) ..... नामांकन क्रमांक(एनरोलमेंट नं.) .....
03. शोध शीर्षक .....
.....
04. पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा तिथि ..... अनुक्रमांक .....
05. प्रवेश परीक्षा परिणाम ..... पूर्णांक..... प्राप्तांक .....
06. डी.आर.सी. की तिथि ..... आर.डी.सी. की तिथि .....
07. कोर्सवर्क परीक्षा में सम्मिलित होने की तिथि ..... अनुक्रमांक .....
08. कोर्सवर्क परीक्षा परिणाम ..... पूर्णांक..... प्राप्तांक .....
09. शोध ग्रंथ जमा करने की तिथि .....
10. पीएच.डी. पूर्ण करने का वर्ष .....

'भारत के राजपत्र (The Gazette of India) असाधारण भाग–3 खण्ड.4 सं–196 नई दिल्ली मंगलवार दिनांक 10 मई 2016 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 04 मई 2016 के उल्लेख अनुसार मैं निम्नलिखित 05 अर्हताओं को पमर्ण करता/करती हूँ :–

1.	Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only
2.	Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners
3.	Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work
4.	The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work
5.	Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.

उक्त बिन्दु क्रमांक 3 व 4 की पूर्ति संबंधि अभिलेख मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे है। मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी पूर्णतः सही है। यदि इसमें गलत, अपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी पाई जाती है, तो इसके लिए मैं स्वर्य उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

शपथ ग्रहिता

– सत्यापन –

मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ की मेरे द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य व सही है इसमें कोई त्रुटी अथवा गलत जानकारी पाई जाती है। तो इसके लिए मैं स्वर्य उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

यह शपथ पत्र मेरे द्वारा आज दिनांक ..... को ..... में में सत्यापित किया गया है।

शपथ ग्रहिता

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2016/वैशाख 20, 1938
No. 196] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2016/VAISAKHA 20, 1938

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों) द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएँ एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन), विनियम, 2016

संख्या. एफ0 1-2/2016 (पीएस/संशोधन).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (वर्ष 1956 का तृतीय) की धारा 26 की उप-धारा (I) तथा खंड (ई) एवं (जी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नवत विनियम, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताओं के विषय में एवं उच्च शिक्षा में मानदण्डों के अनुरक्षण हेतु उपाय विनियम, 2010 के संशोधन हेतु सृजित कर रहा है, नामतः—

2. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तनः

2.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानदण्डों के अनुरक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

2.2 वे ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं संस्थान पर लागू होंगे जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है तथा इसके साथ ही ऐसे प्रत्येक संस्थान पर, संघटक अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित उन पर लागू होंगे जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अनुभाग 2 की धारा (एफ) के अन्तर्गत एवं इस अधिनियम 3 के अन्तर्गत प्रत्येक मानित विश्वविद्यालय के परामर्श सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

2.3 ये विनियम तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय विनियम, 2010 (प्रधान विनियम 2010) में निम्न संशोधन किये गये हैं:—

यूजीसी मुख्य विनियम 2010 की निम्न धाराओं में मौजूदा प्रावधान	यूजीसी मुख्य विनियम 2010 की निम्न धाराओं में किये गये संशोधन
3.0.0 सेवाओं में भर्ती किया जाना एवं अर्हताएँ	3.0.0 सेवाओं में भर्ती किया जाना एवं अर्हताएँ
3.1.0 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया जाना-यह बात उस विज्ञापन पर जो कि अखिल भारतीय स्तर पर किया गया है तथा नियमित	3.1.0 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया जाना-यह बात उस विज्ञापन पर जो कि अखिल भारतीय स्तर पर किया गया है तथा नियमित

रूप से गठित चयन समिति द्वारा किए गए चयन पर निर्भर रहेगा–साथ ही इन नियमनों के अधीनस्थ होगा, जो नियमन उस सम्बद्ध विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/नियमों में समाविष्ट किए जाने हैं। इस प्रकार की समितियों का गठन उसी रूप में किया जाना चाहिए जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन नियमनों में निर्धारित किया गया है।

3.2.0 इन सभी पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही मानी जाएँगी जिन्हें इन नियमनों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है–इन पदों का नाम है– सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर, प्रिंसिपल, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के उप–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूल के निदेशक, सहायक लाइब्रेरियनों, उप–लाइब्रेरियनों, लाइब्रेरियनों के लिए

3.3.0 एक अच्छा अकादमिक रिकार्ड, 55 प्रतिशत अंक (अथवा समकक्ष ग्रेड जिसका अनुसरण, किसी भी बिन्दु पैमाने की प्रणाली के लिए हो रहा हो) स्नातकोत्तर स्तर पर और राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) अथवा किसी एक मान्यता पात्र परीक्षा में योग्यता (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/सेट परीक्षा) सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों के लिए रहेंगे।

3.3.1 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए, नेट/स्लेट/सेट ही पात्रता के लिये न्यूनतम अर्हताएँ मानी जाएँगी।

बशर्ते कि, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें या तो पीएच0डी0 डिग्री प्रदान की जा चुकी है (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार जो भी मानकों को बनाया गया है तथा पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने के लिए हैं) जो कि 2009 के नियमनों के अनुसार हैं, उनको नेट/स्लेट/सेट की उन पात्रता शर्तों से छूट होगी जो शर्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इसके समकक्ष पदों पर नियुक्तियों/भर्ती के लिए निर्धारित की गई हैं।

रूप से गठित चयन समिति द्वारा किए गए चयन पर निर्भर रहेगा–साथ ही इन नियमनों के अधीनस्थ होगा, जो नियमन उस सम्बद्ध विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/नियमों में समाविष्ट किए जाने हैं। इस प्रकार की समितियों का गठन उसी रूप में किया जाना चाहिए जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन नियमनों में निर्धारित किया गया है।

3.2.0 इन सभी पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही मानी जाएँगी जिन्हें इन नियमनों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है–इन पदों का नाम है– सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर, प्रिंसिपल, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के उप–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूल के निदेशक, सहायक लाइब्रेरियनों, उप–लाइब्रेरियनों, लाइब्रेरियनों के लिए

3.3.0 एक अच्छा अकादमिक रिकार्ड, 55 प्रतिशत अंक (अथवा समकक्ष ग्रेड जिसका अनुसरण, किसी भी बिन्दु पैमाने की प्रणाली के लिए हो रहा हो) स्नातकोत्तर स्तर पर और राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) अथवा किसी एक मान्यता पात्र परीक्षा में योग्यता (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/सेट परीक्षा) सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों के लिए रहेंगे।

3.3.1 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए, नेट/स्लेट/सेट ही पात्रता के लिये न्यूनतम अर्हताएँ मानी जाएँगी।

बशर्ते ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें या तो पीएच0डी0 डिग्री प्रदान की जा चुकी हैं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार जो भी मानकों को बनाया गया है तथा पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने के लिए हैं) जो कि 2009 अथवा बाद के विनियम जिन्हें यदि यूजीसी द्वारा अधिसूचित किया गया है के नियमनों के अनुसार हैं, उनको नेट/स्लेट/सेट की उन पात्रता शर्तों से छूट होगी जो शर्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इसके समकक्ष पदों पर नियुक्तियों/भर्ती के लिए निर्धारित की गई हैं।

तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा, और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्यधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:

(क) – अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो;

(ख) – कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) – अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

3.3.2 ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उन समस्त विषयों में नेट/स्लेट/सेट परीक्षा—अनिवार्य नहीं होगी—जिन विषयों में नेट/स्लेट/सेट की प्रत्यायित परीक्षा संचालित नहीं की जाती है।

3.4.0 ऐसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षक के रूप में स्नातकोत्तर स्तर पर नियुक्त हैं और जो विभिन्न उद्योगों अथवा शोध संस्थानों से हैं ऐसे शिक्षकों के लिए नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर सहायक प्रोफेसरों, सहायक लाइब्रेरियनों, सहायक निदेशकों जो सब शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद क्षेत्र से हैं—उनके लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहाँ पर एक समकक्ष ग्रेड जो कि किसी पॉइन्ट स्केल में हो—उसमें) अंक अनिवार्य होंगे।

3.4.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक् रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "पॉइन्ट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है—वे अनुमत होंगी—जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी—और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।

3.5.0 ऐसे पीएच0डी0 धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए—55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

3.6.0 ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पर जो सापेक्ष समतुल्य माना जा रहा हो—वह समस्त प्रक्रिया पात्रता से युक्त मानी जाएगी।

3.7.0 प्रोफेसरों की नियुक्ति एवं इन पदों पर प्रोन्नति के लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदेशात्मक होगी।

3.8.0 ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्हें सीधे तौर से सह प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाना है, उनके लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदेशात्मक होगी।

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;

(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।

उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम-कुलपति/सकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

3.3.2 ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उन समस्त विषयों में नेट/स्लेट/सेट परीक्षा—अनिवार्य नहीं होगी—जिन विषयों में नेट/स्लेट/सेट की प्रत्यायित परीक्षा संचालित नहीं की जाती है।

3.4.0 ऐसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षक के रूप में स्नातकोत्तर स्तर पर नियुक्त हैं और जो विभिन्न उद्योगों अथवा शोध संस्थानों से हैं ऐसे शिक्षकों के लिए नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर सहायक प्रोफेसरों, सहायक लाइब्रेरियनों, सहायक निदेशकों जो सब शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद क्षेत्र से हैं—उनके लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहाँ पर एक समकक्ष ग्रेड जो कि किसी पॉइन्ट स्केल में हो—उसमें) अंक अनिवार्य होंगे।

3.4.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक् रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "पॉइन्ट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है—वे अनुमत होंगी—जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी—और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।

3.5.0 ऐसे पीएच0डी0 धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए—55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

3.6.0 ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पर जो सापेक्ष समतुल्य माना जा रहा हो—वह समस्त प्रक्रिया पात्रता से युक्त मानी जाएगी।

3.7.0 प्रोफेसरों की नियुक्ति एवं इन पदों पर प्रोन्नति के लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदेशात्मक होगी।

3.8.0 ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्हें सीधे तौर से सह प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाना है, उनके लिए पीएच0डी0 डिग्री योग्यता अधिदेशात्मक होगी।

3.9.0 अपनी एम.फिल. अथवा/पीएच0डी0 डिग्री प्राप्त करने के लिए जो समयावधि अभ्यर्थी द्वारा लगायी गयी है, वह समस्त अवधि शैक्षिक पदों पर उनकी नियुक्तियों के लिए अध्यापन/शोध अनुभव के रूप में प्रस्तुत दावे के रूप में पेश नहीं की जा सकती।

3.9.0 अपनी एम.फिल. अथवा/पीएच0डी0 डिग्री प्राप्त करने के लिए जो समावधि अभ्यर्थी द्वारा लगायी गयी है, वह समस्त अवधि शैक्षिक पदों पर उनकी नियुक्तियों के लिए अध्यापन/शोध अनुभव के रूप में प्रस्तुत दावें के रूप में पेश नहीं की जा सकती।	
4.4.0 सहायक प्रोफेसर 4.4.1 कलाएँ, मानविकी, विज्ञान, समाज विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, भाषाएँ, विधि, पत्रकारिता एवं जन–संचार	4.4.0 सहायक प्रोफेसर 4.4.1 कलाएँ, मानविकी, विज्ञान, समाज विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, भाषाएँ, विधि, पत्रकारिता एवं जन–संचार
(i) किसी भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित रूप के अनुसार श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो–तदनुसार एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो–किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय में प्राप्त हो–अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कोई समतुल्य डिग्री हो।	(i) किसी भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित रूप के अनुसार श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो–तदनुसार एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो–किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय में प्राप्त हो–अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कोई समतुल्य डिग्री हो।
(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है–अथवा सी.एस.आइ.आर. द्वारा–अथवा इस के समतुल्य सफल किये गये परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है, जैसा कि स्लेट/सेट आदि।	(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है–अथवा सी.एस.आइ.आर. द्वारा–अथवा इस के समतुल्य सफल किये गये परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है, जैसा कि स्लेट/सेट आदि।
(iii) उपरोक्त धारा 4.4.1 की उपधारा (i) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है –इस सबके बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन–2009 के अनुरूप पीएच0डी0 डिग्री प्रदान हुई है (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए हैं)–ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी–ऐसी शर्तें जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर्स अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है।	(iii) उपरोक्त धारा 4.4.1 की उपधारा (i) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है –इस सबके बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन–2009 के अनुरूप पीएच0डी0 डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में ऐसे विनियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचित किया है। (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए हैं)–ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी– जो विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर्स अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है। तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएचडी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी: (क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो; (ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो; (ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित

	हुआ हो; (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों; (ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो। उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
(iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/स्लेट/सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं–उनके लिए नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।	(iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/स्लेट/सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं–उनके लिए नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।
4.4.2 संगीत, अभिनय कलाएँ, दृश्य कलाएँ एवं पारम्परिक भारतीय कला स्वरूप जैसे मूर्तिकला आदि।	4.4.2 संगीत, अभिनय कलाएँ, दृश्य कलाएँ एवं पारम्परिक भारतीय कला स्वरूप जैसे मूर्तिकला आदि।
4.4.2.1 संगीत एवं नृत्य विद्या 1. सहायक प्रोफेसर	4.4.2.1 संगीत एवं नृत्य विद्या 2. सहायक प्रोफेसर
(i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो, वहाँ पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो।) उनके स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री स्तर पर–उनके अपने सापेक्ष विषय में हों–अथवा किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से एक समतुल्य डिग्री हो।	(i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो, वहाँ पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो।) उनके स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री स्तर पर–उनके अपने सापेक्ष विषय में हों–अथवा किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से एक समतुल्य डिग्री हो।
(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों ने यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित जो व्याख्याताओं के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोग द्वारा संचालित/प्रत्यायित इसी की समतुल्य परीक्षा है–उसको सफलतापूर्वक पास कर लिया हो। इस अनुच्छेद 4.4.2.1 के अंतर्गत सम्मिलित उप–धाराएँ (i) एवं (ii) के बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पीएच0डी0 है अथवा जिन्हें पीएच0डी0 प्रदान की गई है तथा जो प्रक्रिया यू0जी0सी0 नियमन, 2009 (पीएच0डी0 डिग्री के न्यूनतम मानक एवं विधि) के अनुसार है, ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की उस न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी–जो शर्तें विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हुई हैं।	(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों ने यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित जो व्याख्याताओं के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोग द्वारा संचालित/प्रत्यायित इसी की समतुल्य परीक्षा है–उसको सफलतापूर्वक पास कर लिया हो। इस अनुच्छेद 4.4.2.1 के अंतर्गत सम्मिलित उप–धाराएँ (i) एवं (ii) के बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पीएच0डी0 है अथवा जिन्हें पीएच0डी0 प्रदान की गई है तथा जो प्रक्रिया यू0जी0सी0 नियमन, 2009 (पीएच0डी0 डिग्री के न्यूनतम मानक एवं विधि) के अनुसार है, ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की उस न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी–जो शर्तें विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हुई हैं। तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सैट की न्यूनतम पात्रता

	[illegible] की अनिवार्यता से छूट प्रदान [illegible] (क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो; (ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो; (ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो; (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों / सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों; (ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो। उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति / सम–कुलपति / संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) / संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति / सम–कुलपति / संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) / संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
(iii) कुछ विषय जिनमें नेट / स्लेट / सेट को संचालित नहीं किया जाता है–उन विषयों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों की अनिवार्यता नेट / स्लेट / सेट में नहीं होगी। अथवा (i) एक पारम्परिक एवं व्यावसायिक कलाविद् जिसने अपने सम्बद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय तौर पर व्यावसायिक उपलब्धि की है–और जिसके द्वारा किया गया हो– (अ) उसने सुप्रसिद्ध / प्रतिष्ठित पारम्परिक गुरुजनों के शिष्य के रूप में अध्ययन किया हो–तथा अपना विषय विशेष की व्याख्या करने का सम्पूर्ण ज्ञान है : (ब) दूरदर्शन / आकाशवाणी का वह उच्च स्तरीय कलाकार हो, तथा (स) उसमें अपने विशिष्ट विषय के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या करने की योग्यता हो तथा उस विषय में सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन सचित्र माध्यम द्वारा करने का पर्याप्त ज्ञान हो।	(iii) कुछ विषय जिनमें नेट / स्लेट / सेट को संचालित नहीं किया जाता है–उन विषयों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों की अनिवार्यता नेट / स्लेट / सेट में नहीं होगी। अथवा (i) एक पारम्परिक एवं व्यावसायिक कलाविद् जिसने अपने सम्बद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय तौर पर व्यावसायिक उपलब्धि की है–और जिसके द्वारा किया गया हो– (अ) उसने सुप्रसिद्ध / प्रतिष्ठित पारम्परिक गुरुजनों के शिष्य के रूप में अध्ययन किया हो–तथा अपना विषय विशेष की व्याख्या करने का सम्पूर्ण ज्ञान है : (ब) दूरदर्शन / आकाशवाणी का वह उच्च स्तरीय कलाकार हो, तथा (स) उसमें अपने विशिष्ट विषय के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या करने की योग्यता हो तथा उस विषय में सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन सचित्र माध्यम द्वारा करने का पर्याप्त ज्ञान हो।
4.4.2..2 नाटक संबंधी विषयवस्तु 1. सहायक प्रोफेसर (i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–कम से कम स्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत अंक हों (तथा एक पॉइन्ट स्केल के–जहाँ पर कोई ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो इसमें ही एक समतुल्य ग्रेड।) तथा स्नातकोत्तर स्तर उस सापेक्ष विषय में किसी भी भारतीय / विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री। (ii) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास की गई हो, जिस परीक्षा को यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित किया जाता है अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित	4.4.2..2 नाटक संबंधी विषयवस्तु 1. सहायक प्रोफेसर (i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–कम से कम स्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत अंक हों (तथा एक पॉइन्ट स्केल के–जहाँ पर कोई ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो इसमें ही एक समतुल्य ग्रेड।) तथा स्नातकोत्तर स्तर उस सापेक्ष विषय में किसी भी भारतीय / विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री। (ii) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास की गई हो, जिस परीक्षा को यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित किया जाता है अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित

समान स्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया गया हो। वैसे भी, ऐसे अभ्यर्थी जो पीएच0डी0 धारक हैं अथवा जिन्हें पीएच0डी0 मिल रही है, जो प्रक्रिया यू0जी0सी0 नियमन, 2009 के अनुसार है—(पीएच0डी0 डिग्री को प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं विधि) वे अभ्यर्थी उस अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे—जो अनिवार्यता विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा उनकी समकक्ष स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए नेट/स्लेट/सेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से सम्बन्धित की थी।

(iii) उपरोक्त समस्त के प्रति, बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसे समस्त विषय, जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता हैं—उन कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट में अनिवार्य नहीं होंगे।

अथवा

(iv) एक परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाकार जिसकी अत्यन्त उत्कृष्ट प्रशंसनीय उपलब्धियाँ अपने विषय विशेष में हैं—जो या तो निम्नवत हो अथवा उसके पास हो—

1. एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार, जिसके पास प्रथम

समान स्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया गया हो। वैसे भी, ऐसे अभ्यर्थी जो पीएच0डी0 धारक हैं अथवा जिन्हें पीएच0डी0 मिल रही है, जो प्रक्रिया यू0जी0सी0 नियमन, 2009 के अनुसार है—(पीएच0डी0 डिग्री को प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं विधि) वे अभ्यर्थी उस अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे—जो अनिवार्यता विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा उनकी समकक्ष स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए नेट/स्लेट/सेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से सम्बन्धित की थी।

तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:

स(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो;

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से कम से कम एक पत्र सदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;

(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।

उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(iii) उपसेक्त समस्त के प्रति, बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसे समस्त विषय, जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता हैं—उन कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट में अनिवार्य नहीं होंगे।

अथवा

(iv) एक परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाकार जिसकी अत्यन्त उत्कृष्ट प्रशंसनीय उपलब्धियाँ अपने विषय विशेष में हैं—जो या तो निम्नवत हो अथवा उसके पास हो—

1. एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार, जिसके पास प्रथम

श्रेणी की डिग्री / डिप्लोमा जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अथवा भारतवर्ष या विदेश में स्थित इसी प्रकार के अनुमोदित संस्थान से हो–

2. क्षेत्रीय / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय रंगमंचीय स्तर पर अभिनन्दित पाँच वर्ष का निरन्तर निष्पादन–जो कि साक्ष्य द्वारा समर्थित हो।

3. उसमें वह योग्यता विद्यमान हो कि अपने संबद्ध विषय की तार्किक विवेचना की व्याख्या प्रस्तुत कर सके–उसमें पर्याप्त जानकारी हो जिससे वह अपने संबद्ध विषय में उदाहरणों की सहायता से सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन कर सके।

4.4.2.3 दृश्य (ललित) कला विषयवस्तु

1. सहायक प्रोफेसर

(i) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड (अथवा जिस स्थिति में ग्रेड प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो – वहाँ समतुल्य ग्रेड जो उस पॉइन्ट –स्केल में हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो, जो कि संबद्ध विषय में हो, अथवा किसी भी भारतीय / विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त समस्तरीय डिग्री हो।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किया गया हो, जो परीक्षा यू.जी.सी. सी.एस. आई.आर. द्वारा प्राध्यापकों के लिए होती है अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित ऐसी ही समरूप कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस धारा 4.4.2.3 में जो उपधाराओं के (i) एवं (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, उनके अतिरिक्त भी, ऐसे अभ्यर्थी जो या तो पीएच०डी० हैं अथवा जिन्हें यह प्रदान की गई है और जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2009 (न्यूनतम मानक एवं प्रणाली जो कि पीएच.डी.प्रदान करने के लिए हैं) वे लोग भी उन न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे, जो शर्तें, विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा समतुल्य स्थितियों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हैं।

श्रेणी की डिग्री / डिप्लोमा जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अथवा भारतवर्ष या विदेश में स्थित इसी प्रकार के अनुमोदित संस्थान से हो–

2. क्षेत्रीय / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय रंगमंचीय स्तर पर अभिनन्दित पाँच वर्ष का निरन्तर निष्पादन–जो कि साक्ष्य द्वारा समर्थित हो।

3. उसमें वह योग्यता विद्यमान हो कि अपने संबद्ध विषय की तार्किक विवेचना की व्याख्या प्रस्तुत कर सके–उसमें पर्याप्त जानकारी हो जिससे वह अपने संबद्ध विषय में उदाहरणों की सहायता से सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन कर सके।

4.4.2.3 दृश्य (ललित) कला विषयवस्तु

1. सहायक प्रोफेसर

(i) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड (अथवा जिस स्थिति में ग्रेड प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो – वहाँ समतुल्य ग्रेड जो उस पॉइन्ट –स्केल में हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो, जो कि संबद्ध विषय में हो, अथवा किसी भी भारतीय / विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त समस्तरीय डिग्री हो।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किया गया हो, जो परीक्षा यू.जी.सी. सी.एस. आई.आर. द्वारा प्राध्यापकों के लिए होती है अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित ऐसी ही समरूप कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस धारा 4.4.2.3 में जो उपधाराओं के (i) एवं (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, उनके अतिरिक्त भी, ऐसे अभ्यर्थी जो या तो पीएच०डी० हैं अथवा जिन्हें यह प्रदान की गई है और जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2009 (न्यूनतम मानक एवं प्रणाली जो कि पीएच.डी.प्रदान करने के लिए हैं) वे लोग भी उन न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे, जो शर्तें, विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा समतुल्य स्थितियों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हैं।

तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल. / पीएच0डी0 हेतु कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश / उपविधि / विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नैट / सैट / स्लैट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित(Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो;

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित(Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

4.4.0 ASSISTANT PROFESSOR

4.4.1. Arts, Humanities, Sciences, Social Sciences, Commerce, Education, Languages, Law, Journalism and Mass Communication

i. Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in a relevant subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.

ii. Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.

iii. Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.1, candidates, who are, or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions.

iv. NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted.

4.4.2. MUSIC, PERFORMING ARTS, VISUAL ARTS AND OTHER TRADITIONAL INDIAN ART FORMS LIKE SCULPTURE, ETC.

4.4.2.1. MUSIC AND DANCE DISCIPLINE

1. ASSISTANT PROFESSOR:

i. Good academic record with at least 55% marks for an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level, in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University.

ii. Besides fulfilling the above qualifications, candidates must have cleared the National Eligibility Test (NET) for lecturers conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC. Notwithstanding anything contained in the sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.2.1, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions.

VIKRAM UNIVERSITY, UJJAIN

No./Acad/Ph.D./2017 **Date :-**

CERTIFICATE

This is to certify that Mr/Mrs/Ms ..... S/O, D/O, W/O, Shri. ..... registered under Ordinance No. 12 was awarded Ph.D. degree in the year ..... under regular mode in the subject ..... Under the faculty of ..... bearing the* ***Enrolment No.*** *.....*

This is further certified that he/she fulfills all the following five conditions mentioned in the UGC notification dated 4th may 2016 followed by the Gazette of India Notification (Extraordinary) Part-III-Section-4 No. 196, New Delhi, on 10th May 2016.

1. ***Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only***
2. ***Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners***
3. ***Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work***
4. ***The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/ her Ph.D. work, and***
5. ***Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted.***

(As approved by Authority, Mentioned in the above notification)

Dean **Registrar**

* Ordinance No. 12* was in existence before inplementation of UGC (Minimum Standard and procedure for Award of Ph.D. degree) Regulation 2009.

** In this University Ph.D. Thesis is valued by 2 examiners.